



2026:AHC:21230

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1263 सन् 2026

सुनीत कुमार और 2 अन्ययाचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यउत्तरादाता(उत्तरादाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : अमन शुक्ला, विजेंद्र कांत, विष्णु मूर्ति त्रिपाठी

उत्तरादाता(उत्तरादाताओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय, न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने वर्तमान याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पद के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवधानमुक्त वातावरण में पुनः कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरादाताओं को आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने की मांग की गई है, और याचिकाकर्ताओं को पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है, उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत गठित नहीं की गई है।

2. उत्तरादाताओं के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर निरस्त की जाती है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"